

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :- प०3(24) नवि/३/२००३ पार्ट

दिनांक :- २७.१२.२००४

परिपत्र

नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के नियमन एवं निजी आवासीय योजनाओं की स्वीकृति के मामलों में समयावधि में कार्यवाही नहीं होने के फलस्वरूप सरकार की हो रही राजस्व हानि एवं जनता को हो रही परेशानी के निराकरण के संबंध में दिनांक ९.४.०४ का माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री को अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए गये निर्णयों के अनुसरण में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा ९०-वी के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में :- उक्त धारा ९०-वी की उपधारा (४) के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की संक्षिप्त जांच करके आदेश पारित करने की समयावधि ६० दिन निर्धारित है। नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त समयावधि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में नियमन के प्रार्थना पत्र लम्बित हो गये हैं। जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं :-
- (अ) नियमन हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक ३१.३.०५ तक अनिवार्य रूप से किया जावें।
- (ब) नियमन हेतु अब प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि ६० दिन में करके पट्टों का निष्पादन किया जावें।
2. अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने के लिए निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी पर स्टेम्प शुल्क लेने के संबंध में :- राजस्थान वित्त अधिनियम, २००४ के द्वारा स्टेम्प अधिनियम में संशोधन ऊरके अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटार्नी पर निम्न दर से स्टेम्प शुल्क लेने का प्रावधान किया है :-
- | | | |
|-----|---|--|
| (१) | पिता, माता, बहिन, पल्ली, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, के पक्ष में निष्पादित होने पर | 2000/- रुपये |
| (२) | उक्त रिश्तेदारों के अलांका अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित होने पर | पावर ऑफ अटार्नी में वर्णित सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का २ प्रतिशत |

जयपुर विकास प्राधिकरण/आवासन भण्डल/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों में सम्पादित विभिन्न कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत उपरोक्त पावर ऑफ अटार्नी पर नियमानुसार देय स्टेम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करें तथा अपर्याप्त स्टाम्प युक्त पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करें।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना कठोरता से करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने या उपेक्षा करने की कार्यवाही को सरकार गम्भीरता से लेगी।